# 'एनएफएसए में नवीन परिवारों के आवेदन त्वरित गति से करें निस्तारित'

**राजसमंद, ०(निसं)।** जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने सोमवार को सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की माह मई की मासिक बैठक लेते हुए फ्लैगशीप योजनाओं, बजट घोषणाओं, संपर्क पोर्टल पेंडेंसी, ई-फाइल आदि की समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उप वन संरक्षक कस्तूरी प्रशांत सुले, एडीएम नरेश बुनकर, एसडीएम बृजेश गुप्ता, सहायक निदेशक लोक सेवाएं लतिका पालीवाल सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

कलक्टर ने कहा कि राजसमंद जिला 2024-25 में अव्वल जिलों की श्रेणी में रहा है, चाहे बात संपर्क पोर्टल की हो या बीस सूत्री कार्यक्रम की। इसी एनर्जी के साथ 2025-26 में भी राजसमंद को अव्वल रखते हुए हर पात्र को लाभान्वित करें। कलक्टर ने बैठक की शुरुआत एनएफएसए में पात्र एवं वंचित परिवारों को जोडने से की और कहा कि यह हमारा दायित्व है कि जिन पात्र परिवारों ने आवेदन किए हैं, उन्हें हम स्वीकृत करें और उनका अधिकार दिलाएं। कलक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम और बीडीओ इस कार्य को गंभीरता से लें और त्वरित गति से आवेदनों को निस्तारित करें। उन्होंने डाउन द लाइन ग्राम स्तर तक यह निर्देश प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि बालिका के जन्म पर अस्पताल छोडने से पहले-पहले 72 घंटों के अंदर अंदर ही उसके खाते में प्रथम किश्त पहुंच जानी चाहिए। साथ ही द्वितीय और तृतीय किश्त अब तक जिन बालिकाओं को नहीं मिली हैं उन्हें चिन्हित कर लाभान्वित करें। इसके लिए सीएमएचओ सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में जन्मी बच्चियों का आंकडा देखें और सभी को शत प्रतिशत लाभान्वित कराएं। इसी तरह तृतीय किश्त के लिए शिक्षा विभाग सभी स्कूलों में सर्वे पर समस्त बच्चियों को लाभान्वित करें। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कुसुम योजना (एएबीएसीएडी) की समीक्षा की। सिंचाई शाफ्ट निर्माण संरचना की समीक्षा करते हुए एसीईओ सुमन अजमेरा को अधिमतम टारगेट लेकर कार्य करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने 213 स्कूलों में पिंक टॉइलेट निर्मित होना बताया, इस पर कलक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान उन्हें ऐसे कई विद्यालय मिले हैं जहां पिंक टॉइलेट के नाम पर सिर्फ पिंक रंग रोगन कर दिया हैं, यह स्वीकार्य नहीं हैं, शिक्षा विभाग सभी स्कूलों का सर्वे करे और शेष कार्य भी हों। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 की समीक्षा के दौरान कहा कि जिले में नरेगा के सहयोग से अधिकाधिक संरचनाएं बनाना सुनिश्चित करें, ताकि वर्ष जल का संचयन किया जा सकें। कलक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग स्वागत-सत्कार में बुके देना बिल्कुल बंद करें और उस स्थान पर एसएचजी द्वारा निर्मित तुलसी गिफ्ट बॉक्स में दें। कलक्टर ने हर्ष जताया कि सभी स्कूलों द्वारा मिड डे मिल के मसाले एसएचजी से क्रय करना शुरू किया गया हैं, इसी तरह अन्य विभाग की आगे आकर वर्ष भर का ऑर्डर एसएचजी को दें ताकि महिलाएं सशक्त हो। इसी तरह असावा ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, कर्मभूमी से मातृभूमि अभियान, स्वामित्व योजना अटल ज्ञान केन्द्र, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, अटल प्रगति पथ, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.०, मुख्यमंत्री स्वनिधी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, मिशन हरियालो राजस्थान, जल जीवन मिशन, अमृत योजना, पंच गौरव, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी की समीक्षा कर अधिकतम प्रगति के निर्देश दिए।

कलक्टर असावा ने बजट घोषणा 2025-26 के तहत ऊर्जा विभाग अंतर्गत भीम क्षेत्र के धांसरिया और जालपा में 33/11 केवी जीएसएस के निर्माण कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत केलवा से आमेट, मादरी से लसानी ताल वाया आमेट-देवगढ, चारभुजा से सेवन्त्री तथा बडारडा पुठिया से फरारा महादेव तक कुल 7० से अधिक किलोमीटर सडकों के निर्माण, सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य आदि की समीक्षा की। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नाथद्वारा में शहरी सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन कार्यों के साथ-साथ जलापूर्ति योजना के विस्तार के लिए तीन वर्षीय योजना की तैयारियों, पर्यटन विभाग द्वारा पिपलांत्री को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना, चिकित्सा क्षेत्र में आत्मा व सांगठकला में उप स्वास्थ्य केंद्रों को पीएचसी में क्रमोन्नत करने एवं जिला चिकित्सालय में बेड क्षमता वृद्धि की घोषणाओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

# ध्वजा महोत्सव व सम्मान समारोह मनाया

**राजसमंद, (निसं)।** जिला मुख्यालय के समीपवर्ती फरारा ग्राम में तीर्थस्थल कुन्तेश्वर महादेव परिसर स्थित प्राजपत समाज की आराध्य मां श्रीयादेवी मंदिर पर वैशाखी अष्टमी पर सोमवार को वार्षिक ध्वजा महोत्सव एवं सम्मान समारोह सम्पूर्ण चौखला क्षेत्र से आए समाजजनों की उपस्थिति में हर्षोल्लास से मनाया गया।

प्रजापत समाज सेवा संघ फरारा चौखला की ओर से आयोजित वार्षिक कार्यक्रम के तहत सुबह श्रीयादेवी मंदिर परिसर में हवन अनुष्ठान हुआ जिसमें समाजजनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां दी। इसके बाद चौखला अध्यक्ष किशनलाल गांवगुडा, सचिव मुरलीधर प्रजापत नाथद्वारा, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण पुनावली, उपाध्यक्ष लक्ष्मण प्रजापत आदि के साथ समाज के वरिष्ठजनों ने तय मुहूर्त में मंत्रोच्चारण व मां श्रीयादेवी के गगनभेदी जैकारों के साथ विधिपूर्वक मंदिर शिखर पर ध्वजा चढाई। ध्वजारोहण उपरांत हवन में पूर्णाहुति दी गई। इसके बाद मुख्य समारोह आयोजित हुआ। समारोह में इस वार्षिक ध्वजा महोत्सव आयोजन से जुडी भोजन, जल, अल्पाहार, टेंट सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए गत वर्ष बोली लगाकर आर्थिक सहयोग देने वाले समाज के भामाशाहों, दानदाताओं आदि का सम्मान किया गया। समाज संरक्षक हीरालाल पुनावली व रामचन्द्र प्रजापत राजनगर, चौखला अध्यक्ष किशनलाल गांवगुडा आदि वरिष्ठजनों ने तिलक, इकलई व साफा पहनाकर भामाशाहों का सम्मान किया। साथ ही समाज के वरिष्ठजनों व प्रतिभावान छात्र-छात्राओं तथा विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन व सराहनीय कार्य करने वाले समाज के युवाओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष एवं वरिष्ठजनों ने विभिन्न चौखलो व उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत, इन्दौर, मुम्बई आदि स्थानों से आए समाज के प्रतिनधियों का भी स्वागत किया। समारोह का संचालन गणेश प्रजापत धोरण व कांतिलाल गांवगुडा ने किया। इस दौरान भजन सत्संग भी हुआ, जिसमें गायक गोविन्दसिंह खरवड ने प्रस्तुतियां दी। समारोह में अध्यक्ष किशनलाल गांवगुडा ने कहा कि समाज उत्थान के लिए प्रयास जारी हैं जिसके तहत कई गतिविधियां चल रही हैं। उन्होंने हर्ष जताते हुए आगामी नवम्बर में फरारा चौखला की ओर से होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की जानकारी दी एवं कहा कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा, जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी हैं। इस दौरान भंवरलाल खमनोर, लक्ष्मण कुंचोली, नरोत्तम नाथद्वारा, श्यामलाल प्रजापत आदि मौजूद रहे।

# हाजियों का किया स्वागत

**बांसवाड़ा** मुस्लिम पेंशनर समाज इन्दिरा कॉलोनी की ओर से हज पर जाने वाले हाजियों का स्वागत किया गया। मुस्लिम पेंशनर समाज के अध्यक्ष शकील मोहम्मद सहित सदस्यों ने हाजियों की गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी तथा हज के दौरान खुशहाली और अमन-चेन की दुआ करने की गुजारिश की।


**कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा (राजसमन्द)**

क्रमांक :न.पा.ना./2025/928 दिनांक : 25.04.2025

**-: ऑनलाईन ई-निविदा सूचना :-**

नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा निम्नानुसार कार्यविशेष का अनुभव रखने वाले पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र-सरकार के अधिकृत संगठनो व अन्य संबंधित विभागों में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डररिंग प्रक्रिया द्वारा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण www.sppp.raj.nic.in http://eproc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है तथा कार्यालय समय में सूचना बोर्ड पर अथवा स्टोर शाखा में भी देखा जा सकता है।

| क्र.सं. | निविदा की संख्या | SPPP UBN | NIB No |
|---|---|---|---|
| 1. | 01. | DLB2526SSOB03468 | 09/2025-26 |
| 2. | 02. | DLB2526SSOB03469 | 09/2025-26 |

आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा

राज.संवाद/सी/25/1759



**कार्यालय नगर पालिका कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)**

क्रमांक:-न.पा.क./भूमि/2025-26/367 (प्रारूप 10) दिनांक : 05/05/2025

**-: लोक सूचना:-**

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि के निम्न खातेदारों/स्वामियोंद्वारा गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात :-

| क्र. सं. | नाम आवेदनत्र खातेदार | जिलेव तहसील का नाम | राजस्व ग्राम का नाम | खसरा नं. | क्षैत्रफल एवं प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री ललित कुमार टांक पिता श्री देवीलाल टांक | तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ | कपासन | 2901 (0.49 हैक्टेयर) | 4900 वर्गमीटर मिश्रित प्रयोजनार्थ |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 05-05-2025 को जारी की गई।

प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी)
नगर पालिका,कपासन


# कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया

**देवगढ़, (निसं)।** कामलीघाट मार्ग पर नगर पालिका देवगढ़ द्वारा धार्मिक स्थल को तोड़ने और पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पालिका कार्यालय के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही देवगढ़ उपखण्ड अधिकारी अर्चना चौधरी को चार ज्ञापन सौंपे गए।

नगर पालिका के बाहर आयोजित धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने कथित तौर पर धर्मस्थल पर तोड़फोड़ के मामले में 19 लोगों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई। पूर्व विधायक रावत ने कहा कि विधायक हरि सिंह रावत द्वारा मनमानी की जा रही है और नगर पालिका देवगढ़ के अध्यक्ष शोभा लाल रेगर द्वारा भी हिंदुत्व की झूठी राजनीति की जा रही है। धरने में सुदर्शन सिंह ने कहा कि विरम गुड़ा के पास वर्षों पुराना महादेव का मंदिर था जिसकी चारदीवारी एवं अन्य निर्माण को नगर पालिका ने तोड़ डाला।


**कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद**
**जिला-राजसमंद**

क्रमांक : नपरा/राजस्व/2025-26/3067 दि. 25.4.2025

**आपत्ति सूचना पत्र**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 1. श्री ओमप्रकाश सिंह पिता श्री शिवनारायण सिंहजी राजपूत व 2. श्रीमती रन्जुदेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश सिंह, निवासी धोबी गली, मंदिर मार्ग कांकरोली तहसील व जिला-राजसमंद द्वारा पैतृक/ खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/ वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम-धोड़न्दा के आराजी नं. 2488 पट्टा संख्या 3017 दिनांक 29.11.2017 भूखण्ड सं.14 का क्षेत्रफल 900.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रय शुदा/प्राप्तशुदा उक्त भूखंड सं. 14 का क्षेत्रफल 9 0 0 .00 वर्गफीट का उपविभाजन/एकीकरण/ नामांतरण/ तामीर स्वीकृति चाही गई है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है

| | | | |
|---|---|---|---|
| पूर्व | 25'00' | पड़ौस | रास्ता 30 फीट चौड़ा |
| पश्चिम | 25'00'' | पड़ौस | प्लॉट नं. 07 |
| उत्तर | 36'00'' | पड़ौस | प्लॉट नं. 13 |
| दक्षिण | 36'00'' | पड़ौस | प्लॉट नं. 15 |

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/ एकीकरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद


# 70 भट्टियों को हटाया

**कपासन, (निसं)।** कपासन में प्रशासन ने अवैध कोयला भट्टियों के खिलाफ सोमवार शाम में बड़ी कार्रवाई की है। उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका और तहसीलदार नासिर बेग मिर्जा कपासन के निर्देश पर 5 मई को यह कार्रवाई की गई।

नायब तहसीलदार कपासन के नेतृत्व में टीम ने ग्राम तुरकिया कला और मोतीखेड़ा में कार्रवाई की। दोनों गांवों में 35-35 भट्टियों को जेसीबी की मदद से हटाया गयाप्रशासन ने पहले इन भट्टियों के संचालकों को 10 दिन का नोटिस दिया था। नोटिस के बाद भी भट्टियां नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की गई। इसी दौरान राज्य सरकार की योजना रास्ता खोलो अभियान के तहत भी कार्रवाई की गई। तुरकिया कला से लांगच जाने वाले रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।

# जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित

**बांसवाड़ा, (निसं)।** जिला परिशद् की साधारण सभा की बैठक में मनरेगा को लेकर अधिकारियों की केमेस्ट्री तो विधायक अर्जुन सिंह बामनिया की मैथेमेटिक्स के बीच जबरदस्त जंग होती नजर आयी। जिला प्रमुख रेषम मालवीया ने बताया कि पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 59 सड़कों का अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि पंचायत समितियों से अनुमोदन होकर जिला परिशद् में आया था जिसका अनुमोदन करना था जिसके तहत ढ़ाई सौ की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना है।

उन्होंने बताया कि बैठक में मनरेगा में लेबर बढ़ाने की मांग की गयी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एक लाख श्रमिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नया सत्र अब षुरू हुआ है तो उसके अनुसार आवष्यकतानुसार श्रमिक लगाये जायेंगे। इधर विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि मनरेगा में मिलने वाले मजदूर दिवस के बारे में गाइडलाइन बताई जाये। उन्होंने कहा कि मनरेगा में आखिर एक श्रमिक को कितने दिन काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार 100 दिन काम मिलेगा या नहीं यह स्पश्ट किया जाये। बाद में पत्रकारों से बातचीत में बामनिया ने कहा कि मनमोहन सरकार ने एक्ट बनाया था जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देना आवष्यक है लेकिन केन्द्र व राज्य सरकार ने इसे हटाया है। उन्होंने कहा कि यदि औसत निकाला जाये तो एक श्रमिक को मात्र 21 दिन ही काम मिल पायेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार गरीब के पेट पर लात मार रही है हम इस मुद्दो को लेकर जनता के बीच जायेंगे। बैठक में घाटोल विधायक नानालाल निनामा, कुषलगढ़ विधायक रमीला खड़िया, जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव, जिला परिशद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाललाल स्वर्णकार मौजूद रहे। बैठक में जिला परिषा् सदस्य राजेष कटारा, धीरजमल डिंडोर, कृष्णा कटारा, प्रधान बलवीर रावत, निर्मला मकवाना आदि मौजूद रहे।


**कार्यालय ग्राम पंचायत लकडवास,**
**पंचायत समिति गिर्वा, उदयपुर (राज.)**

क्रमांक:-06 दिनांक-30.04.2025

**-:ई निविदा सूचना -01/2025-26:-**

ग्राम पंचायत लकडवास में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 10-05-2025 सायं 6.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। जिसका UBN No-ZUD2526GLRC00119 है।

प्रशासक
ग्राम पंचायत लकडवास
पंचायत समिति गिर्वा
जिला- उदयपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत लकडवास
पंचायत समिति गिर्वा
जिला- उदयपुर


# बैल घर में घुसने पर दो पक्षों में मारपीट

**उदयपुर, (कासं)।** बैल के घर में घुस जाने से हुए विवाद में दो पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नारायण पुत्र रामा गमेती निवासी मीणी फलां नयागुडा नाई ने रिपोर्ट दी कि 3 मई को शाम को समय 6.30 बजे पर हमारा बैल मेरे काका पप्पू गमेती के घर चला गया था तो मेरे काका ने मेरे बैल को लट्ठ से मारने लगा तो बैल घर से बाहर आकर नीचे गिर गया। मेरे पिता रामा गमेती जो मेरे काका पप्पू गमेती को पूछ रहे थे की बैल को क्यों मारा है तो उसी समय उनकी पत्नी लोगरी गमेती, गुड्डी पत्नी सुरज गमेती, फेफली पत्नी पूना गमेती व सूरत गमेती ने मेरे पिताजी को रोक कर उनके साथ माररपीट करने लगे, जब मेरा भाई लक्ष्मण गमेती बीच-बचाव करने गया तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे। तभी काका पप्पू गमेती अपने कच्चे मकान के उपर चढ गया और वहां से पत्थर मारने लगा, जिससे मेरे पिताजी के सिर पर पत्थर लगा। मेरा भाई लक्ष्मण गमेती जब पिताजी को सिर पर लगने के बाद लेकर आने लगा तो उसको भी सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे दोनो के सिर से खून निकलने लगा। दोनों को नाई हॉस्पीटल लेकर गए जहां से एमबी चिकित्सालय उदयपुर रैफर कर दिया गया। इसी तरह दूसरे पक्ष की ओर से पप्पू पुत्र कालू गमेती निवासी मीणी फलां नयागुडा नाई ने रिपोर्ट दी कि 3 मई को मेरे बडे भाई रामा का बैल मेरे घर के आंगन मे आ गया था तो मैने मेरे घर से बैल को एक छोटी लकडी से मारते हुए बाहर निकाल दिया। इस पर मेरा भाई रामा, पुत्र नारायण व रामा की पत्नी सवली, रामा का पुत्र लक्ष्मण ने आकर गाली गलोच करने लगे और मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरा पुत्र सूरज मुझे बचाने आया जो उसके साथ मे भी मारपीट करने लगे। मेरी बेटे की पत्नी गुड्डी छुडाने आई तो उसके साथ भी मारपीट की। वहां से रवाना हो होकर ये सभी लोग मेरी भाभी फेफली बाई पत्नी पूना के साथ मारपीट करने लगे। लक्ष्मण ने पाईप की सिर मार दी जिसे उसे खून निकलने लगे और ये सभी लोग भाग गए। रिपोर्ट पर नाई थाना पुलिस ने क्रोस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

# प्रताड़ित करने का आरोप

**उदयपुर, (कासं)।** एक विवाहिता द्वारा विषाक्त सेवन कर आत्महत्या करने पर उसके भाई ने बहन के पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ परेशान करने का मामला दर्ज करवाया है।

जानकारी के अनुसार शैतानसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी वैणीपुरिया कपासन ने रिपोर्ट दी कि ेरी छोटी बहन सुमन कुवंर की शादी 20 अप्रैल 2018 राजेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी डोरकुआ के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी बहन ससुराल मे रहने लगी ओर पीहर भी आती-जाती थी। मेरे बहन के दो पुत्रियां है। शादी के बाद मेरी बहन व उसके ससुराल वालो के बीच छोटी मोटी घरेलू बातो को लेकर विवाद होता रहता था पर आज से करीब 6 माह पूर्व सुमन कुंवर ससुराल वालो ने उनकी जमीन बेची थी व खरीदी थी। इस बात को लेकर घर मे विवाद पैदा हुआ व उसी बात को लेकर राजेन्द्र सिंह ने कई बार मेरी बहन के साथ मारपीट की। मेरी बहन के ससुर रतन व सास कैलाश कुंवर, ननद शुशीला कुंवर ने भी मेरी बहन को मानसिक रूप से प्रताडित किया। राजेन्द्र सिंह का मंजु कुंवर निवासी डोरकुआ के साथ अवैध संबंध थे, इसी बात को लेकर मंजू कुँवर ने मेरी बहन को धमकी दी की। करीब एक माह पूर्व मेरी बहन पीहर आई थी। उसके बाद से ही ससुराल मे ही थी। 3 मई को 8.30 बजे हेमराज अहीर ने फोन पर बताया की मेरी बहन की तबीयत खराब होने से हॉस्पीटल लेकर गए थे, जिसकी मृत्यु हो गई हैं। उसके बाद राजेन्द्र सिंह के काका श्यामसिंह का फोन आया जिसने भी मेरी बहन मृत्यु होना बताया।


**कार्यालय ग्राम पंचायत बुझड़ा**
**पंचायत समिति गिर्वा, उदयपुर (राज.)**

क्रमांक: ग्रा.प.बु./2025-26/10 दिनांक: 01.05.2025

**-: -निविदा सूचना...../2025-26 :-**

ग्राम पंचायत बुझड़ा में महानरेगा एवं अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 15.5.2025 सांय 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। जिसका UBN No ZUD2526GLRC00156 है।

प्रशासक
ग्राम पंचायत बुझड़ा
पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बुझड़ा
पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर



**राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-उदयपुर**
(A State Govt. enterprise constituted under RHB Act 1970) भाग पारस चौराहा, उदयपुर

क्रमांक:-95 दिनांक:-28.4.2025

**जाहिर आम सूचना मृत्यु उपरान्त नामान्तरण बाबत**

आम सूचना जारी है कि राजस्थान आवासन मण्डल में श्री बदामी लाल शाह पुत्र श्री मोती लाल शाह ने EWS आय वर्ग के आवास हेतु माही कॉलोनी, बांसवाड़ा में आवेदन किया था। उस आवेदन के तहत आवास संख्या 1-C-48 मॉही कॉलोनी, बांसवाड़ा में माप 30.93 वर्गमीटर का आवास आवंटित किया गया। जिसका कब्जा 10.05.1985 को दिया गया।

श्री बदामी लाल शाह द्वारा आवास का बैचान जरिये नियमितिकरण अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 1686 दिनांक 03.12.2004 श्रीमती रानी पुत्र श्री हशमतराय जी के नाम जारी किया गया। जिसका पंजीयन इनके पक्ष में 01.01.2005 में किया गया।

तत्पश्चात श्रीमती रानी का स्वर्गवास 30.10.2015 एवं इनके पति श्री हशमतराय का स्वर्गवास 21.10.2015 को हो जाने के उपरांत उक्त दंपत्ति के कोई संतान नहीं होने से उनके भाई एवं बहन श्री सुरेश आहुजा पुत्र स्व. श्री मुरलीधर आहुजा एवं श्रीमति मणि उर्फ शोभा पत्नी श्री रामचन्द्र जैसवानी द्वारा उक्त आवास संख्या 1-सी-48 माही कॉलोनी, बांसवाड़ा ने मृतक का कानूनन उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए उक्त आवास अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए है।

अत: किसी को भी मृतक की कानूनन वारिसों सम्बन्धी कोई ऐतराज हो तो इस आम सूचना के जाहिर होने के 10 दिवस में मण्डल के आवासीय अभियंता खण्ड उदयपुर के कार्यालय में पेश करें। बाद मियाद आवास संख्या 1-सी-48 माही कॉलोनी, नगर, बांसवाड़ा आवेदक श्री सुरेश आहुजा पुत्र स्व. श्री मुरलीधर आहुजा एवं श्रीमति मणि उर्फ शोभा पत्नि श्री रामचन्द्र जैसवानी के नाम हस्तान्तरित कर मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जायेगा।

आवासीय अभियंता राजस्थान
आवासन मण्डल, खण्ड-उदयपुर


# मामला दर्ज

**उदयपुर, (निसं)।** आपस में हुई बहस में एक महिला ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर घर पर हमला करवाकर एक दम्पति से मारपीट करवा दी। जानकारी के अनुसार भावना गमेती पत्नी रमेश गमेती निवासी भुवाणा हवाला ने रिपोर्ट दी कि 3 मई को रात्रि 11 बजे मैं अपने घर पर खाना बना रही थी।

# मोहनलाल सुविवि के परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश चंद्र कुमावत सेवानिवृत्त

**उदयपुर, (कासं)।** मोहनलाल सुखाडिया विवि, उदयपुर के परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश चंद्र कुमावत आज से औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए। डॉ. कुमावत का विवि के शैक्षणिक और प्रशासनिक विकास में योगदान अत्यंत उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने अपने तीन दशक से भी अधिक के सेवाकाल में विवि की परीक्षा प्रणाली को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें कीं।

डॉ. कुमावत ने विवि में कार्य करते हुए विभिन्न प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारियाँ निभाईं और हर भूमिका में दक्षता एवं दूरदर्शिता का परिचय दिया। उनके नेतृत्व में परीक्षा प्रणाली में अनेक व्यापक बदलाव किए गए-चाहे वह प्रश्नपत्रों के प्रारूप में संशोधन हो, मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की संरचना में सुधार हो या पुनर्मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। उनके प्रयासों से विश्वविद्यालय में सूचना तकनीकी का सफलतापूर्वक समावेश किया गया, जिससे परीक्षा संचालन अधिक पारदर्शी, संगठित और तकनीक-सम्मत बना। डॉ. कुमावत के कार्यकाल में अंकतालिका प्रारूप को आधुनिक बनाया गया, परीक्षा परिणामों की ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की गई, और प्रश्नपत्रों के सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई प्रणाली को लागू किया गया। इन सभी परिवर्तनों के पीछे उनकी

डॉ. राजेश चंद्र कुमावत।

दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और तकनीकी समझ रही है। विवि की नैक रैंकिंग प्रक्रिया में भी डॉ. कुमावत ने अहम भूमिका निभाई। नैक द्वारा गठित पियर टीम के समक्ष तीन बार परीक्षा विभाग का प्रस्तुतिकरण सफलतापूर्वक कर विवि को उच्च रैंकिंग दिलवाने में उनका सक्रिय सहयोग रहा। यह उनके प्रशासनिक कौशल और सूझबूझ का प्रमाण है कि विवि ने नैक मूल्यांकन में परीक्षा से संबंधित सभी मापदंडों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। डॉ. कुमावत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विवि में सफलतापूर्वक लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर विभिन्न कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन भी उन्होंने सुनिश्चित किया, जिससे विवि के शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी नई नीति से भलीभांति परिचित हो सकें। परीक्षा नियंत्रक के पद के साथ-साथ पिछले लगभग दो वर्षों से वे महाविद्यालय विकास परिषद् के निदेशक का कार्यभार भी कुशलतापूर्वक संभाल रहे थे। इस दौरान उन्होंने परीक्षा सुधार को लेकर कई राज्यस्तरीय सेमिनार आयोजित किए, जिनमें राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। उनकी विशिष्ट सेवाओं को देखते हुए राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा उन्हें राजऋषि भर्तृहरि विवि अलवर की शैक्षणिक परिषद् में दो वर्षों के लिए सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन के दौरान वे 'उडनदस्ता प्रभारी' के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते रहे और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित की। राज्य स्तर पर आयोजित प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं जैसे पी.टी.ई.टी., बी.एस.टी.सी. आदि के सफल आयोजन में भी डॉ. कुमावत का योगदान उल्लेखनीय रहा। वे सदैव अनुशासन, नवाचार और पारदर्शिता के पक्षधर रहे, और परीक्षा प्रणाली में इन मूल्यों को आत्मसात करने हेतु लगातार कार्य करते रहे। डॉ. राजेश चंद्र कुमावत का सेवानिवृत्त होना न केवल विवि के लिए बल्कि समस्त शिक्षा जगत के लिए एक युग का समापन है।


**Altum® Credo Home Finance**
**अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**
रजि. कार्यालयः फ्लोर नंबर 7, कल्पतरु इनफिनिया, वाकडेवाडी, शिवाजीनगर, पुणे - 411005, महाराष्ट्र (भारत)

**मांग सूचना**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत हस्ताक्षरकर्ता, अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (ACHFL) का अधिकृत अधिकारी है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्र